प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सन्त अतुलानन्द रेजिडेन्सियल एकेडमी
होलापुर परमानन्दपुर, वाराणसी।

पत्रांकः मान्यता/ 20938-41 /2020–21 दिनांकः 25-03-, 2021

विषय : विद्यालय के स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्याः 419/79–6–2013–18 (20)/91 दिनांकः 08 मई, 2013 में दिये गये निर्देश के कम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांकः/बेसिक/18488–490/2017–2018 दिनांकः 28–03–2018 के द्वारा **सन्त अतुलानन्द रेजिडेन्सियल एकेडमी होलापुर परमानन्दपुर, वाराणसी** को दिनांकः **01–04–2018** से दिनांकः **31–03–2021** तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम **अंग्रेजी माध्यम** की मान्यता प्रदान की गयी थी। इस सन्दर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक रहित के द्वारा अन्य पत्रजात संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को नवीनीकृत किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के परीक्षणोपरान्त एवं दिनांकः **01–04–2018** से अद्यतन मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ। उक्त विद्यालय, विद्यालय का नाम खतौनी में दर्ज अभिलेख के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप **सन्त अतुलानन्द रेजिडेन्सियल एकेडमी होलापुर परमानन्दपुर, वाराणसी** को इस कार्यालय के पत्रांकः/बेसिक/18488–490/2017–2018 दिनांकः 28–03–2018 के द्वारा दी गयी मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्याः 419/79–6–2013–18 (20)/91 दिनांकः 08 मई, 2013 में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तों का उल्लंघन करने अथवा अनूसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्याः 419/79–6–2013–18 (20)/91 दिनांकः 08 मई, 2013 के नियम–13 के उप नियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवा कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने, पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

भवदीय

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

पृ0सं0:/मान्यता/ /2020–21 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद।
2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण/नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।